संख्या:44/2015/647जेएल/22-3-15-100(17)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2015***

विषय: जिला कारागार-गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-6080/सामा-1(3)/गौतमबुद्धनगर/2014, दिनांक 25-02-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में गयी संस्तुति एवं उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध निम्नलिखित बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इन्हें प्रस्तावित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व, अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012- महाराष्ट्र राज्य व अन्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र0स0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	सुन्दर भाटी पुत्र श्री हुक्म सिंह	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।	जिला कारागार, हमीरपुर।
2	सिंहराज भाटी पुत्र श्री हंसराज सिंह भाटी	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।	जिला कारागार, बांदा।
3	ऋषिपाल पुत्र श्री रामबल	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।	जिला कारागार, ललितपुर।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:44/647जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर/हमीरपुर/बांदा/ललितपुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in